प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **34/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Kishan Ahir Add: Ahiro ka Mohalla, Hamerpura, post-Bhopakhera, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 22-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 32932300969O198 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2746350565 दिनांक 04.03.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/34/25/240–41 दिनांक 04.03.2025 से लिखा गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/264 दिनांक 03.04.2025 से अपीलार्थी तथा न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि प्रस्तुत आवेदन में बिन्दु संख्या 1 में वांछित सूचना से संबंधित कार्यालय हाजा में कोई दस्तावेज नहीं होने से चाही गई सूचना शून्य है। यदि प्रार्थी चाहे तो किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/रजिस्टर का अवलोकन कर वांछित सूचना चिन्हित कर सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011 में रोड़ा एक्ट में वसूली के संबंध में दर्ज प्रकरण संख्या 16/11 में बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद की सत्यप्रति चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड वल्लभनगर द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में कोई दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से सूचना शून्य है एवं अपीलार्थी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/रजिस्टर का अवलोकन कर सूचना चिन्हित कर सकता हैं। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी चाहे तो सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के कार्यालय में आदेश

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

प्राप्ति के 7 दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर वांछित सूचना चिन्हित कर सकता है।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-04-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर